FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम ओग.

सोनालाल पिता कजोड जाति नि. आँवल हेडा बनाम ओपानलाल पिता ओमाथान

बाबत मुकदमा प्रा.पत्र 212 R.T.A नं. 54/24 सन्

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत हाकिम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-8-25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे वकील प्रार्थी को पुनःतर्क [illegible] बहस प्रा.पत्र अ.धा. 212 R.T.A का स्वीकार किया जाने का निवेदन इस प्रकार से किया है कि मौजा आँवल हेड़ा प.ह. आंवल हेडा के खाता सं 497 मे आराजी सं. 1004, 1024, 1366, 1500, 1502, 2559, 81, कुल किता 07 कुल रकबा 1.8780 है. भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की पुश्तैनी है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात के खसरा सं. 1024 रकबा 0.5260 है. भूमि मे अपनी निजी एवं कृषि आवश्यताओं के लिए कच्चा पक्का कोट बना एक बाडा बना रखा है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी एवं खातेदारी की भूमि होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे पूर्ण रूप से प्रमाणित है। विपक्षीगण ने कपट पूर्वक जालसाजी कर फर्जी दस्तावेज होने की झुठी अफवाह फैला कर प्रार्थी को उक्त आराजी सं. 1024 रकबा 0.5260 है. भूमि से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है। यदि विपक्षीगण को पाबन्द नही किया जाता है तो विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि को छीनकर बेदखल कर सकते है जिससे प्रार्थी को आर्थिक एवं कानूनी नुकसान होगा। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे प्रमाणित है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के अंतिम निस्तारण होने तक ग्राम आँवल हेडा की आ.सं. 1024 रकबा 0.5260 है. भूमि मे प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही अपने परिवार नौकर या अन्य व्यक्ति से करावें। प्रकरण मे वकील प्रार्थी की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया व प्रकरण एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम आँवल हेड़ा सम्वत 2078-2078 मे खाता	

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	स. 497 मे स्थित आराजी स. 1004, 1024, 1366, 1500, 1502, 2559, 981 कुल किता 07 रकबा 1.8180 है. भूमि का प्रार्थी खातेदार है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होता है। प्रार्थी की आराजी स. 1024 रकबा 0.5260 है. भूमि पर आवश्यकतानुसार पत्थर की कच्ची कोट बना कर बाडा बना रखा है। जो प्रार्थी का खातेदारी की कृषि आराजीयात है। यदि विपक्षी गण जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थी को ही आर्थिक नुकसान होगा। जिससे अपूर्णीय क्षती भी प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होती है। एववाद ग्रस्त भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहा है। इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होता है। प्रा.पत्र के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होते है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र अ.धा. 212 R.T.A का स्वीकार किया जाता है। विपक्षी गण को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि मौजा आँवल हेडा प.ह. आँवला हेडा कि आ.स. 1024 रकबा 0.5260 है. भूमि मे प्रार्थी के कब्जे एवं उपयोग। उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही अपने परिवार नौकर या अन्य व्यक्ति से करावें। आदेश आज दिनांक 18-08-2025 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]